न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर– 94/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1– समता पत्नी सांवरा जाट निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1– छोटु पुत्र नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2– पन्ना पुत्र हजारी गुर्जर निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3– पिंकी पत्नी दामोदर नुवाल निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4– सायरी पत्नी उदा गुर्जर निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5– ऐजी पुत्री उदा गुर्जर निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6– काना पुत्र उदा गुर्जर निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7– उगमी पुत्री देबी चमार निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8– पवन पुत्र कमली चमार निवासी देह हाल मुकाम काल का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9– प्रभुलाल पुत्र छीतर गुर्जर निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10– शंकरलाल पुत्र उदा गुर्जर निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
11– नारायण पुत्र पन्ना चमार निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
12– लालु पुत्र नन्दा चमार निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
13– कैलाश चन्द्र पुत्र माधु गुर्जर निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
14– देवकिशन पुत्र छीतर गुर्जर निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
15– रामचन्द्र पुत्र फुमा गुर्जर निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
16– छोटु पुत्र नाना गुर्जर निवासी खातनखेडी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
17– राजस्थान पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा माण्डल जिला भीलवाड़ा
18–तहसीलदार बनेड़ा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थीः– ईकबाल मो. छीपा

निर्णय

दिनांक :– 07/03/2025

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम खातनखेडल पटवार हल्का उपरेडा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र उपरेडा तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खाता सं. 293 के आराजी नम्बर 1553/333, 1555/862, 1557/960 किता 03 रकबा 0.3161 है0** भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के अप्रार्थीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का

अवलोकन किया गया। **ग्राम खातनखेडल पटवार हल्का उपरेडा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र उपरेडा तहसील बनेड़ा जंमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खाता सं. 293 के आराजी नम्बर 1553/333, 1555/862, 1557/960 किता 03 रकबा 0.3161 है0 प्रार्थी** के नाम दर्ज होकर है। **प्रार्थी** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर **ग्राम खातनखेडल पटवार हल्का उपरेडा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र उपरेडा तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खाता सं. 293 के आराजी नम्बर 1553/333, 1555/862, 1557/960 किता 03 रकबा 0.3161 है0** भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक उपरेडा** को **500/– रूपये** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। कमिश्नर फीस प्रकरण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि **प्रार्थी** की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः **भू0अ0निरीक्षक उपरेडा जो** कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक **07–03–2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा